दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 247 रविवार 6 अप्रैल 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

वक्फ के नाम पर कब्जे वाली जमीनों को वापस लेगी योगी सरकार

महाराजगंज (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद से पास हो चुके वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आगे का प्लान भी शनिवार को बता दिया। महाराजगंज में योगी ने कहा कि लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किए जाने का काम किया गया था। चंद लोगों का लूट का माध्यम बन गया था। जिस पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। इन जमीनों को वापस लिया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। चौराहों की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जो भी सार्वजनिक जमीन होगी उनको विद्यालय, चिकित्सालय, कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज बनाने के काम में लिया जाएगा।

सीएम योगी महाराजगंज में नौतनवा ब्लाक के रतनपुर में डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बने रोहिन बैराज का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे वर्षों तक उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाली सरकारों के पास अपना पेट भरने से ही फुर्सत नहीं थी। मुख्यमंत्री ने साढ़े छह सौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले तीन सालों में यूपी से गरीबी खत्म करेंगे। 'शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करके उत्तर प्रदेश को देश में अर्थव्यवस्था के के मामले मे नंबर एक' के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें एक जिला, एक माफिया पालती थी, हमने उनके माफिया का स्थान अब एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज के लिये दे दिया है।

सिद्धिदात्री– मां दुर्गा की नौवीं शक्ति

मां दुर्गाजी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि–पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि–विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व– ये आठ सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण के श्रीकृष्ण जन्म खंड में यह संख्या अठारह बताई गई है।

मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो।

पीएम मोदी ने उठाया मछुआरों के रिहाई का मुद्दा

कोलंबो (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के तीन दिन के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की।

मोदी ने कहा कि यह मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा करने और उनकी नावों को छोड़ने पर बात की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

तमिल मुद्दे पर मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को लागू करेगी।

वहीं, राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा–मैंने पीएम मोदी से कहा कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही है। मैंने उन्हें कहा है कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवॉर्ड दिया। मित्र भूषण अवॉर्ड श्रीलंका का गैर–नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहला विदेशी मेहमान बनने का सौभाग्य मुझे मिला। यह हमारे विदेशी संबंधों की गहराई का प्रतीक है।

कराया फलाहार, दिया संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को अखिल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में अमहट घाट स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर परिसर में नववर्ष स्वागत समारोह,फलाहार, प्रसाद वितरण, अखण्ड श्रीराम चरित मानस पाठ का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मंदिर परिसर मे उपस्थित मातृ शक्तियों 'भक्तों ' बच्चों को फलाहार प्रसाद का वितरण का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा विवेकानन्द मिश्रा , अध्यक्ष सहकारी बैंक राजेन्द्र तिवारी, संघ के जिला कार्यवाह नीरज, नगर संघ चालक सुनील मिश्रा, जिला विकास अधिकारी, पी डी , भूमि संरक्षण अधिकारी,खण्ड विकास अधिकारी , अमृत वर्मा, पुरोहित गोपाल , गोपेश्वर त्रिपाठी ने भी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया!

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष सुभाष शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन की प्रेरणा देने के लिए मुख्य मन्त्री और प्रदेश नेतृत्व का आभार है।

प्रसाद वितरण करने वालों में प्रांत उपाध्यक्ष अमरमणि पाण्डेय,जयेश सिंह मुन्ना, सरदार प्रभुप्रीत सिंह, महेंद्र पाण्डेय, डॉ वीरेंद्र त्रिपाठी, राम विनय पाण्डेय, बृजेश प्रताप सिंह मुन्ना,विवेक सिंह सोनू,राकेश त्रिपाठी, इन्द्र भुजा पाण्डेय, हरिओम प्रकाश लल्ला , अयोध्या प्रसाद, वीरेंद्र,रमेश सिंह,राजेश चित्रगुप्त,राजीव पाण्डेय, लालजी शुक्ला, आलोक कुमार दुबे , गिरधारी साहू, सतपाल टीटू आदि ने योगदान दिया।

जीवीएम में मेधावी छात्रों की फीस माफ, पुरस्कृत कर बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जीवीएम कान्वेन्ट स्कूल में शनिवार को वार्षिक परीक्षा में विभिन्न कक्षाओं में सफल मेधावी बच्चों को मेडल,प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक संतोष सिंह, प्रधानाचार्य श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह जी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि विद्यालय में प्राइमरी और जूनियर वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों की वर्ष की फीस एवं उनका यूनिफॉर्म विद्यालय के द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा ।

इस अवसर पर राकेश, निकहत, राजेश, मीनाक्षी, रुबीना, ममता, हिना, शिवानी, कोमल काजल, श्रेया सावित्री, निकिता, श्रुति, खुशबू, निधि, अलीना, विजय मोहन, जेपी नेल्सन, पवन, जितेंद्र, कमलेश आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संचालन प्रिन्स ने किया।

समाजवादियों ने जयन्ती पर किया निषाद राज गुह्य, महर्षि कश्यप, सम्राट अशोक को नमन्

–महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा लें युवा– महेन्द्रनाथ यादव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निषादों के राजा गुह्य, महर्षि कश्यप और सम्राट अशोक को उनकी जयंती पर याद किया गया। सपा जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम और पार्टी की मासिक बैठक में महेन्द्रनाथ यादव कहा कि निषाद वंश के ऋंगवेरपुर के राजा गुह्य ने वनवासकाल में श्रीराम राम,सीता तथा लक्ष्मण को अपने नगर में रात्रि विश्राम का आश्रय देने के साथ ही केवटराज से गंगा पार करवाया था। वहीं ऋषि कश्यप का समाज निर्माण में विशेष योगदान रहा। कहा कि अपनी शिक्षाओं और अपने काम को व्यापक प्रचार दिलाने के लिए अशोक ने मौखिक घोषणाओं के माध्यम से और अनेक स्थानों पर चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्णन के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया। शिलालेख और स्तंभ शिलालेख (जैसे, सारनाथ में पाए गए स्तंभ का सिंह शीर्ष , जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है), जो अधिकतर उनके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में दिनांकित हैं – उनके विचारों और कार्यों के बारे में कथन हैं और उनके जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उनके कथनों में स्पष्टता और ईमानदारी झलकती थी। कहा कि हमें अपने महापुरूषों से प्रेरणा लेनी चाहिये। बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती और सपा के नीति कार्यक्रम को पहुचाने के लिये निरन्तर कार्य हो और पात्रों को मदद, अन्याय के मुखर विरोध का सिलसिला जारी रहे। हमें जन भावनाओं पर खरा उतरना होगा।

कार्यक्रम में विधायक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, कविन्द्र चौधरी अतुल' पूर्व विधायक राजमणि पाण्डेय, समाजवादी चिन्तक चन्द्रभूषण मिश्र, समीर चौधरी, मो. स्वालेह, जमील अहमद, गीता भारती, अंकुर गौतम, विपिन त्रिपाठी, अजय यादव, कल्लू मोदनवाल, महेश चौधरी,मो. सलीम आदि ने कहा कि निषादराज निषादों के राजा का उपनाम है। वे ऋंगवेरपुर (वर्तमान–प्रयागराज) के महाराजा थे, उनका नाम महाराज गुहराज निषादराज था। वे निषाद समाज के थे और उन्होंने ही वनवासकाल में राम, सीता तथा लक्ष्मण को अपने सेवकों के द्वारा गंगा पार करवाया था । वहीं सृष्टि के सृजक सप्तऋषि महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस–पुत्र और मरीची ऋषि के महातेजस्वी पुत्र थे। इन्हें अरिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता था। महर्षि कश्यप ऋषि–मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। वक्ताओं ने कहा कि सम्राट अशोक के संरक्षण का ही परिणाम है कि बौद्ध धर्म, जो तब तक एक छोटा सा संप्रदाय था जो विशेष इलाकों तक सीमित था, पूरे भारत में फैल गया और बाद में देश की सीमाओं से परे भी फैल गया। महापुरूष हमें निरन्तर आगे बढने की प्रेरणा देते हैं।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेन्द्र यादव, जावेद पिण्डारी, अरविन्द सोनकर, जमील अहमद, गुलाम गौस, अरविन्द यादव, राजेन्द्र चौधरी, विजय लक्ष्मी, चन्द्र प्रकाश चौधरी, रन बहादुर यादव, जर्सी यादव, देवनाथ यादव, अजय यदव, मुरली पाण्डेय, देवेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, नितराम चौधरी, राजदेव, वीरेन्द्र चौधरी, घनश्याम यादव, मो. युनुस आलम, रजनीश यादव, सुशील यादव, मो. सलीम, रजवन्त यादव, तूफानी यादव, मधुबन यादव, दिलीप कुमार, रहमान सिद्दीकी, जोखू लाल यादव, गौरीशंकर यादव, जहीर अंसारी, अजीत यादव के साथ ही अनेक नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे। अंत में सपा के सेक्टर अध्यक्ष राम सूरत चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठेंगे मुद्दे- राना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।10 अप्रैल को दिल्ली के मयूर विहार स्थित केंद्रीय कार्यालय पंचायत धाम में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही देश के सभी प्रदेशों के प्रांतीय अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे। उक्त जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि इसी बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मेलन की तिथि भी तय की जाएगी। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के पंचायतों और नगर निकायों को अधिकार सम्पन्न तथा जवाबदेह बनाने के लिए आवाज बुलन्द करूंगा। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन को धरातल पर लागू कराने की रणनीति पर जोरदार आवाज उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायतों और नगर निकायों को मजबूत करना आवश्यक है।

बेस्ट ऑफ बस्ती अवॉर्डस 10 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आगामी 10 अप्रैल को "बेस्ट ऑफ बस्ती अवॉर्ड्स 2025" का आयोजन पं. अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह, बस्ती में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ एवं लीड यू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है, जो बस्ती के उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करेगा जिन्होंने समाज, शिक्षा, चिकित्सा, कला, प्रशासन, उद्यमिता, विज्ञान, पत्रकारिता, कृषि, संस्कृति, खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देकर जिले का मान बढ़ाया है।

कार्यक्रम के आयोजक और नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष भावेष पाण्डेय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस अवसर पर 'थिंक युवा' पत्रिका द्वारा बस्ती पर केंद्रित एक विशेष संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है।

संकल्पों के साथ मनाया गया जी.एस.बी. इण्टर नेशनल स्कूल का स्थापना दिवस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। छात्रों के लिये विद्यालय का स्थापना दिवस एक अवसर है। इससे बच्चों को उन विभूतियों का ज्ञान होता है जिन्होने यह सृजनात्मक पहल किया। यह विचार गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने जी.एस.बी. इण्टर नेशनल स्कूल के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किया।

स्कूल के निदेशक भानु प्रताप सिंह और संचालक राजेश चौधरी ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुये बताया कि छात्रों को समग्र शिक्षा दी जाती है जिससे वे देश के सुयोग्य नागरिक बन सके।

इस अवसर पर विद्यालय के छात्र आकृति सिंह,मालाश्री यादव, माही सिंह, अनुराग चौधरी, तृषा सिंह,वेद प्रकाश, अभिनव सिंह, कंचना मौर्या,उज्जैनी सिंह, रूपम चौधरी, वास्वी सिंह,हर्ष, अनमोल ,आर्यन आदि ने रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी पूर्व विधायक संजय प्रताप जयसवाल के साथ ही अभिभावक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्कूल के अध्यापक अरुण चौधरी, रितुका पाण्डेय, लाल बहादुर चौधरी,मोनिका सिंह,आस्था शर्मा और सहयोगी गगन पाण्डेय,अनिल मिश्रा,विजेन्द्र सिंह,कनिष्क सिंह , शुभम सिंह आदि ने कार्यक्रम संयोजन में योगदान दिया।

कवि सम्मेलन, मुशायरा 6 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पंडित अटल बिहारी बाजपेई ऑडिटोरियम में 6 अप्रैल को कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन सांय 5 बजे से किया गया है । यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक अनुराग कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि पद्म श्री गोपालदास नीरज की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में रामकृष्ण लाल जगमग कृत''नन्हे मुन्हो'' का संसार का लोकार्पण भी किया जायेगा। कवि सम्मेलन में अनेक कवि, शायर हिस्सा लेंगे।

नदी में डूबे युवक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र में कुआनो नदी के गौरा घाट पर शनिवार को नहाते वक्त एक युवक गहरे पानी में फंसकर डूब गया। साथ नहा रहे युवकों के शोर मचाने पर भीड़ जुट गई। काफी प्रयास बाद उसे नदी से निकाला जा सका। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लालगंज थानाध्यक्ष सुनील कुमार गौड़ उसे ओपेक चिकित्सालय कैली भिजवाया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के दतुआखोर निवासी राकेश गौड़ (24) पुत्र झिनकान बस्ती शहर में ऑटो की दुकान पर मैकेनिक का काम करता था।

जयन्ती पर याद किये गये निषादराज गुह्य, बाबू जगजीवन राम

–समता के महानायक थे बाबू जगजीवन राम–विश्वनाथ चौधरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय पर निषादराज गुह्य, और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी 118वीं जयंती पर याद किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढना होगा। बाबू जगजीवन राम समता के महानायक थे और समाज के कमजोर, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं उनके न्याय के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्षरत रहे , उन्होने संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो योगदान दिया इसके लिये उन्हें युगों तक याद किया जायेगा।

पूर्व विधायक अम्बिका सिंह, साधू शरन आर्य, ई. राज बहादुर निषाद, गिरजेश पाल, मंजू पाण्डेय, अवधेश सिंह आदि ने निषादराज गुह्य, और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि निषादराज गुह्य ने ही वनवासकाल में राम, सीता और लक्ष्मण को अपने सेवकों के द्वारा गंगा पार करवाया था । कहा कि बाबू जगजीवन राम ने देश और दलित वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय–जवान जय– किसान के नारे को सही मायने में बाबू जगजीवन राम ने चरितार्थ किया था। बाबूजी ने अपना पूरा जीवन वंचितों, शोषितों और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने उनके हक और भागीदारी को मजबूत कर देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की। वे जन मानस में सदैव याद किये जायेंगे।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से संदीप श्रीवास्तव, राहुल चौधरी, रामबचन भारती, लालजीत पहलवान, डा. वाहिद सिद्दीकी, शकुन्तला देवी, सरोज बाला कन्नौजिया, आनन्द कुमार निषाद, सोमनाथ 'सन्त',विनय तिवारी, राम बहादुर सिंह, मो. अलीम, अखिलेश, सर्वेश शुक्ल, लालजी शर्मा, अतीउल्ला सिद्दीकी, मो. अशरफ, रामधीरज चौधरी, गुड्डू सोनकर, राजेश साहनी, मोहित निषाद के साथ ही अनेक कांग्रेस नेता, पदाधिकारी शामिल रहे।

विशेष अभियान में 50 मरीजों का निःशुल्क आपरेशन

-गरीब मरीजों के लिये वरदान साबित हो रहा है सत्या मल्टी स्पेशलिटी एण्ड आई हास्पिटल- सत्य प्रकाश सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के परिजनों के लिये सत्या मल्टी स्पेशलिटी एण्ड आई हास्पिटल के विशेष शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। 22 मार्च से 15 अप्रैल तक चलाये जा रहे निःशुल्क आपरेशन में अब तक 50 मरीजों का आपरेशन किया जा रहा है। इनमें 3 पित्त की थैली 2 हर्निया, 2 हाइड्रोसील, 2 बच्चेदानी और 40 मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क आपरेशन शामिल है।

सत्या मल्टी स्पेलिटी एण्ड आई हास्पिटल के संस्थापक प्रबंधक सत्य प्रकाश सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि कलवारी मार्ग पर महरीपुर में स्थित हास्पिटल का उद्देश्य पीडित मानवता के चेहरों पर मुस्कान लाना है। बताया कि आज भी आर्थिक अभाव के कारण लोग रोगों के इलाज में लापरवाही बरतते हैं। हास्पिटल में ऐसे मरीजों का भी निःशुल्क इलाज हो रहा है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। बताया कि हास्पिटल में अत्याधुनिक संसाधन और कुशल चिकित्सकों की समर्पित टीम का नतीजा है कि हास्पिटल मरीजों और उनके परिजनों का भरोसा जीत रहा है। हास्पिटल धीरे–धीरे मानव सेवा के अपने उद्देश्यों की ओर बढ रहा है।

संस्थापक प्रबंधक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि चेयरमैन और नेत्र सर्जन डा. ज्योति सिंह, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डा. हनुमान सिंह के साथ ही चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सदैव मरीजों की सेवा में समर्पित रहती है। हास्पिटल के पास जांच की सुविधा होने से मरीजों और उनके परिजनों को भटकना नहीं पड़ता।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती

बस्ती 6 अप्रैल 2025 रविवार

सम्पादकीय

न्यायपालिका पर उठती उंगलियां

ऐसे वक्त में जब न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता की मांग सार्वजनिक विमर्श में है, सुप्रीम कोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालय की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करके अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर सहमति व्यक्त करना सुखद ही है। निश्चय ही यह एक सार्थक पहल ही कही जाएगी। दरअसल, यह कदम न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास में लगी आग में नोटों का जखीरा जलने के समाचार प्रकाश में आने के कुछ समय बाद उठाया गया है। उल्लेखनीय है घटना के समय वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। निश्चय ही इस घटनाक्रम से समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। दरअसल, वर्तमान परिपाटी के अनुसार न्यायाधीशों के लिये निजी संपत्ति का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना एक स्वैच्छिक परंपरा है। जिसे अनिवार्य बनाने की मांग की जाती रही है। निश्चय ही न्याय व्यवस्था के संरक्षक होने के कारण इसके स्वैच्छिक रहने पर तमाम किंतु–परंतु हो सकते हैं। जनता हमेशा से ही पंच–परमेश्वरों की स्वच्छ–धवल छवि की आकांक्षा रखती है। दरअसल, न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति के खुलासे का मुद्दा दशकों तक सार्वजनिक विमर्श में उठता रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार उसके सभी न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा देश की शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करनी थी। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ये विवरण उनके राज्य के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष पेश करने थे। यहां ये उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी कि ये घोषणाएं स्वैच्छिक और गोपनीय रहेंगी। लेकिन साथ ही सार्वजनिक विमर्श में यह मुद्दा भी रहा कि जनता भी इन जानकारियों को जानने की इच्छुक रहती है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा गया। लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम के एक प्रावधान में व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने में छूट दी गई थी। तर्क दिया गया था कि जब तक व्यापक सार्वजनिक हित में जरूरी न हो, प्रकटीकरण में छूट दी जाए।

दरअसल, इन प्रावधानों से न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए एक अवरोध पैदा हुआ। यहां उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देते हुए कहा था कि सूर्य का प्रकाश वास्तव में सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। इस वक्तव्य के आलोक में न्यायाधीशों को भी अपनी संपत्ति के बारे में वास्तविक जानकारी सार्वजनिक परिदृश्य में रखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अन्यथा तथ्यों की परदादारी जनमानस के मन में कतिपय संशयों को भी जन्म दे सकती है। न्यायिक परिदृश्य में पारदर्शिता उजागर करने में विधायिका की सक्रिय भूमिका भी वक्त की मांग है। यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि विधि एवं न्याय विभाग की संसदीय समिति ने वर्ष 2023 में न्यायाधीशों के लिये अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा की सिफारिश की थी। लेकिन इस बाबत अभी तक कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाहों को अपनी संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा करना कानूनन अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में आम जनमानस में धारणा बनी रहती है कि न्यायपालिका के बाबत भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रश्न न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता और जबावदेही से भी जुड़ा है। यह सुखद होगा कि यदि ऐसी कोई पहल स्वयं न्यायपालिका की तरफ से होती है। न्यायपालिका हमेशा से समाज में पारदर्शिता व व्यावसायिक शुचिता की पक्षधर रही है। जनता इस कसौटी पर अपने पंच परमेश्वरों को भी खरा उतरता देखना चाहती है। निस्संदेह इस तरह के फैसले का दूरगामी प्रभाव भी होगा। इस दिशा में किसी भी पारदर्शी व्यवस्था का समाज में स्वागत ही होगा। ऐसे किसी भी कदम से उस आम आदमी के विश्वास को भी बल मिलेगा जो हर तरह के अन्याय व भ्रष्टाचार से तंग आकर उम्मीद की अंतिम किरण के रूप में न्यायालयों का रुख करता है। वह न्यायाधीशों को सत्य व सदाचारिता के प्रतीक के रूप में देखता है। वो न्याय देने वालों को न्याय की हर कसौटी पर खरा उतरना देखना चाहता है। यह न्याय की शुचिता की भी अनिवार्य शर्त है।

कार्यालय ग्राम पंचायत ओठगनपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(जगदीश) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत बेलाड़ी वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(चन्द्रप्रभा) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत भुवर सराय वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(उमापति) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत दुबखरा वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(राजेन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत कुसमौर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(पवन कुमार यादव) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत महरीपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(सुनीता यादव) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत खोरिया वि0ख0 रामनगर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(दार्शिका शुक्ला) ग्राम प्रधान **(विजय प्रकाश)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत माझा वि0ख0 कप्तानगंज जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 21–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 22–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(साहबदीन निषाद) ग्राम प्रधान **(उदितांश शुक्ला)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गड़हा गौतम वि0ख0 कप्तानगंज जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 20–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 21–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्तें– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनूप सिंह) ग्राम प्रधान **(उदितांश शुक्ला)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत- कपियां बुकहनिया ग्रान्ट वि0ख0 - नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कपिया बुकहनिया ग्रान्ट,** विकास खण्ड नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 26.04.2025 को अपरान्ह 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 26–04–2025 को अपरान्ह 11.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **कपिया बुकहनिया ग्रान्ट,** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **कपिया बुकहनिया ग्रान्ट,** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–रामनरेश यादव
ग्राम पंचायत–कपिया बुकहनिया ग्रान्ट
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–अभिनव ओझा
ग्राम पंचायत–कपिया बुकहनिया ग्रान्ट
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत-करोती/लुचुइयां वि0ख0 - नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **करोती/लुचुइयां**, विकास खण्ड नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 25.04. 2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 25–04–2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **करोती/लुचुइयां**, के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।

2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।

5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।

6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।

7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **करोती/लुचुइयां**, कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय महदेवा लाला से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–प्रमिला
ग्राम पंचायत– करोती/लुचुइयां,
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–अभिनव ओझा
ग्राम पंचायत– करोती/लुचुइयां,
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन कर किया पूजा-अर्चना, सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना

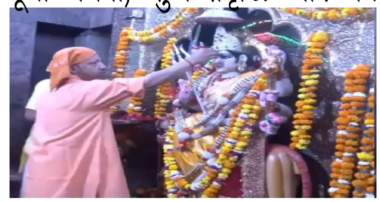

संवाददाता–बलरामपुर। बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर माता पाटेश्वरी शक्ति पीठ में दर्शन–पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। माता पाटेश्वरी शक्ति पीठ में विधि–विधान के साथ मां दुर्गा के दर्शन और पूजा–अर्चना की।

मंदिर में पूजन के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में ही स्थित गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने गायों को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाया। मंदिर में मौजूद बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक–चौबंद रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अष्टमी व रामनवमी के अवसर पर प्रमुख शक्तिपीठों व मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ पांच व छह अप्रैल को कराया जाएगा। यह पाठ चयनित भजन मंडलियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए इन्हें पांच हजार रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा।

संस्कृति व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। देवी मंदिरों व शक्तिपीठों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। सभी जिलों में 24 घंटे का श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश दिए गए हैं। 5 अप्रैल दोपहर से शुरू अखंड मानस पाठ की पूर्णाहुति 6 अप्रैल को श्रीरामनवमी के दिन दोपहर में श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला के सूर्य तिलक के साथ होगी। उन्होंने बताया कि अष्टमी (पांच अप्रैल) और श्रीराम नवमी (छह अप्रैल) को प्रदेश के प्रमुख राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों, देवी मंदिरों, वाल्मीकि मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष अनुष्ठान होंगे। जिलों में स्थानीय भजन मंडलियों और लोक कलाकारों की प्रस्तुति के लिए समितियों का गठन किया गया है। मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त 5000 रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। संस्कृति विभाग की ई–डायरेक्टरी से कलाकारों का चयन किया गया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने यहां देवीपाटन स्थित तुलसीपुर में चल रहे नवरात्रि मेले का जायजा लिया। सीएम योगी गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय, डुमरियागंज से राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भयनियापुर के हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से कार द्वारा वह देवीपाटन मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री देवीपाटन मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। शनिवार को वह वासंतिक नवरात्रि की अष्टमी पर मां पाटेश्वरी देवी शक्ति पीठ के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए देवीपाटन मंदिर क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संदिग्ध परिस्थिति में मिला मजदूर का शव, हत्या का आरोप

संवाददाता–देवरिया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक मजदूर का शव नाले में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मजदूर की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रामपुर हीरामन गांव निवासी राजेन्द्र प्रसाद 48 पुत्र मुन्नी प्रसाद मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक वह शुक्रवार रात से घर नहीं लौटा था। शनिवार की सुबह गांव के ही एक व्यक्ति के घर के नजदीक नाले में वह गिरा पड़ा मिला। नाले में पड़े होने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। मौके पर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह भी फोर्स के साथ पहुंच गए। नाले से बाहर निकालने पर व्यक्ति की पहचान राजेंद्र प्रसाद के रूप में हुई।

शव के नाक से खून निकला हुआ था। पुलिस के मुताबिक शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। घटनास्थल पर पहुंची मृतक की पत्नी मीरा देवी और इकलौती बेटी सरिता ने कुछ दिन पहले गांव के एक व्यक्ति से झगड़ा होने की बात बताते हुए हत्या का आरोप लगाना शुरू कर दिया। समझा बुझा कर पुलिस कर्मियों ने दोनों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मृतक के शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

अष्टमी के दिन भक्तों ने महागौरी की पूजा कर किया हवन

संवाददाता–बलरामपुर। नवरात्र के अष्टमी तिथि को जिले के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने महागौरी की पूजा अर्चना की। भोर से ही श्रद्धालुगण महागौरी के दर्शन करने कतार में खड़े दिखे। वहीं सुबह नौ बजे से हवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो देर शाम तक चलती रही। माता रानी के भक्तों ने सभी देवी मंदिरों समेत अपने–अपने घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कर मां अम्बे का आशीष प्राप्त किया। सभी भक्तों ने कन्याओं को चुनरी व तिलक लगाकर उन्हें श्रद्धा भाव से हलवा, पूड़ी खिलाकर दक्षिणा दिया। जिसके बाद भक्तों ने मां जगदम्बे का दर्शन पूजन कर हवन कराकर परिवार व राष्ट्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करने के लिए शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पर भोर से ही श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लग गई थी। दूर दराज के क्षेत्रों से भारी संख्या में पहुंच महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने आदि शक्ति की पूजा अर्चना की। परंपरागत तरीके से तमाम श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में बने सूर्यकुंड में स्नान कर देवी की पूजा की। अष्टमी के दिन बच्चों का मुंडन संस्कार आदि भी लोगों ने शक्तिपीठ पर कराया। क्षेत्रीय लोगों की आस्था होती है कि वे नवरात्र के अष्टमी को अपने बच्चों का मुंडन यहां कराते हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–64/2025
बाबूराम आदि
बनाम
रामसरन आदि

1. रामसरन 2. काशीराम 3. रामवरन पुत्रगण झिनकान 4. प्रेमा देवी पत्नी रामवरन निवासीगण ग्राम जैतापुर तप्पा अतरोह परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 28–04–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–783/2024
अशोक कुमार सिंह
बनाम
शैलेष कुमार सिंह आदि

1. शैलेष कुमार सिंह 2. बृजेश कुमार सिंह पुत्रगण स्व0 रामनवल सिंह 3. सत्यपाल सिंह 4. अखिलेश कुमार सिंह पुत्रगण स्व0 इन्द्रजीत सिंह

तारीख पेशी 12–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–183/2020
रामधनी
बनाम
रहीम खान आदि

1. रहीम खां पुत्र अम्मर खां 2. श्रीमती मजीदुनन्निशा पत्नी रहीम खां साकिनान मौजा गौसेसिंहपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

3. सरिता देवी पत्नी चन्द्रभान 4. जगदम्बा देवी पत्नी रामफुलेख 5. राम सागर 6. कृष्ण 7. वीरेन्द्र पुत्रगण महादेव साकिनान मौजा गौसेसिंहपुर तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 16–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत जुआजाता वि0ख0 बहादुरपुर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(अनीता देवी) ग्राम प्रधान **(रवि प्रकाश पाण्डेय)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मंझरिया वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(रविन्द्र कुमार) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत रानीपुर वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(गिरजेश) ग्राम प्रधान **(आनन्द कुमार सिंह)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत दुधौरा वि0ख0 कप्तानगंज जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 22–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 23–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(लालमती) ग्राम प्रधान **(उदितांश शुक्ला)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत गोटवा वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 15–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 16–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(शिव श्याम चौधरी) ग्राम प्रधान **(अखिलेश शुक्ला)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यालय ग्राम पंचायत मरहा वि0ख0 बस्ती सदर जनपद- बस्ती

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/अंत्येष्टि स्थल/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय/ पंचायत भवन/मनरेगा पार्क एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण, सुन्दरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 07–04 2025 से 14–04–2025 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सील बंद निविदा जमा कर सकते है। दिनांक 15–04–2025 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष अपरान्ह 12.00 बजे खोली जायेगी, निविदा फर्म पैड पर होगी।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मात्रा (प्राक्कलन के अनुसार	शिड्यूल रेट के अनुसार (निम्नतम दर पर
1	टाइल्स, शुलभ/सामुदायिक शौचालय		
2	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, छड़		
3	ईट, हैण्डपम्प रिबोर, हरा चारा, सूखा चारा, चुन्नी सीमेंटेड ईट		
4	पलम्बरी सामग्री, खेल कूद के मैदान पर खेल कूद की सामग्री		
5	समर्सिबल, विद्युत तार, जलसंचयन सम्बन्धी कार्य		
6	इण्टरलाकिंग टाइल्स सामग्री गोवंश आश्रय केन्द्र पर भूसा अन्य		
7	डेस्क, बेंच फर्नीचर/आलमारी		
8	ग्रीन बोर्ड पर्दा, अन्त्येष्टी स्थल, सूखा–गीला कचरा प्रबंधन व कम्पोस्ट गड्ढ़ा इत्यादि		
9	भूसा, वृक्षारोपण (पौधा कम से कम 6 फीट का होना चाहिए)		
10	कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, आंगनबाड़ी केन्द्र		
11	नाली निर्माण सामग्री, पंचायत भवन		
12	खंड़जा, सोख्ता, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट		
13	योगा/व्यायाम सामग्री, मॉडर्न वृक्षारोपण, ह्यूम पाईप, सी.सी. टीवी कैमरा ए.सी.पी. बोर्ड, दिशा सूचक/साईन बोर्ड/शिलापट्ट या फैन्सग्रास		
14	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, आपरेशन कायाकल्प, फागिंग मशीन, लाल ईंट आदि।		

प्रतिबंध एवं शर्ते– सभी कार्य योजना के अनुसार एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जायेंगे। समाग्री की मात्रा स्वीकृत होने के पश्चात तय की जायेगी। आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नही। आपूर्तिकर्ता वाणिज्यकर एवं आयकर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. की दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा रू0–50 के स्टाम्प पेपर पर भरना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में निहित होगा।

(लालता प्रसाद) ग्राम प्रधान **(अखिलेश शुक्ला)** ग्रा0पं0/ग्रा0वि0अधि0

पत्रांक मेमो /03.04.2025 वित्तीय वर्ष 2025–26

अज्ञात कारणों से लगी आग से चार रिहायशी छप्पर जला

संवाददाता–संतकबीरनगर। महुली क्षेत्र के ग्राम धायपोखर में शनिवार को अज्ञात कारणों से चार रिहायशी झोपड़ी में आग लग गई। आसमान की तरफ धुंआ और लपट उठती देख ग्रामीण के अलावा पडोसी गांव के लोग भागते हुए पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में लगी रही। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल वाहन भी पहुंचा। धधक रही आग पर पानी की बौछार मार कर शांत किया।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–245/2024

हरिश्चन्द्र

बनाम

सचिन आदि

1. सचिन पुत्र बनारसी 2. श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व0 बनारसी 3. अन्जनी 4. प्रियंका 5. अंशिका 6. रजनी पुत्रीगण स्व0 बनारसी निवासीगण ग्राम कठौतिया तप्पा हवेली परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

7. धर्मराज पुत्र गंगादीन 8. सतिराम पुत्र राजाराम 9. मु0 छुछछी पत्नी दयाराम 10. महेन्द्र प्रताप 11. राम सुरेश 12. राम महेश पुत्रगण दयाराम निवासीगण ग्राम कठौतिया तप्पा हवेली परगना नगर पूरव तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 06–05–2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्अलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0–169/2018

राम अछैबर

बनाम

सुरेन्द्रनाथ आदि

1/1 धीरेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 32 साल 1/2 शिवेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 24 साल 1/3 राजेन्द्र तिवारी उम्र लगभग 23 साल 1/4 उमा तिवारी उम्र लगभग 28 साल पुत्रगण सुरेन्द्रनाथ 1/5 कुसुम तिवारी उम्र लगभग 52 साल पत्नी स्व0 सुरेन्द्र नाथ साकिनान मौजा महापात्र टोला दक्षिणदरवाजा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–05–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 29 माह 05 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला– बस्ती

वाद सं0 24/2024

सीताराम

बनाम

तिलकराम उपाध्याय आदि

1. तिलकराम उपाध्याय 2. शत्रुधन पुत्रगण मुसाफिर उपाध्याय 3. राम स्वारथ पुत्र ललन 4. रामरक्षा 5. रामजीवन 6. फूलचन्द्र पुत्रगण राम भरत 7. राज कुमार 8. श्रवण कुमार पुत्रगण प्रमात्मा 9. महेन्द्र कुमार पुत्र सुदर्शन 10. राममिलन पुत्र सुखारी साकिनान मौजा सपहा तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–05–2025

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 05 के 17 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्अलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान अष्टम सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–618/1997

राम उग्रह आदि

बनाम

तुलसीराम आदि

3/2 रामविलास वर्मा पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम जोतबक्श तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 25–04–2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 25 माह 04 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।

मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com